रांची, रविवार
05.09.2021
प्रभात खबर
11

कमजोर समूहों और महिलाओं की रक्षा के लिए बने कानूनों का इस्तेमाल जरूरी

- एक्सआइएसएस में लैंगिक संवेदनशीलता विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का समापन

संवाददाता, रांची

एक्सआइएसएस में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित अतिथि व प्रतिभागी.

एक्सआइएसएस में 'लैंगिक संवेदनशीलता, महिला कर्मचारियों व विद्यार्थियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और तकनीकी संस्थानों में शिकायतों के निवारण' विषय पर दो-दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन शनिवार को हुआ. एक्सआइएसएस के माइकल वैन डेन बोर्गट एसजे ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यशाला में फैकल्टी के सदस्य, परियोजना अधिकारी और स्टाफ शामिल हुए.

इस अवसर पर एक्सआइएसएस के निदेशक डॉ जोसफ मरियानुस कुजूर ने कहा कि यौन उत्पीड़न से कमजोर समूहों और महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए बने कानूनों का इस्तेमाल जरूरी है. संस्थान में एक आंतरिक शिकायत समिति (आइसीसी) की आवश्यकता है. सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड लॉ, आइएसआइ, नयी दिल्ली के एचओडी सह सर्वोच्च न्यायालय के वकील फादर रवि सागर ने मानव अधिकारों की उत्पत्ति और देश में सक्रिय कानूनों और शैक्षणिक संस्थानों में आइसीसी की आवश्यकता के बारे में बताया. बोकाली काशो ने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति होनी चाहिए. डॉ मधुमिता सिंघा ने कहा कि यह समिति कार्यस्थल पर सभी महिला कर्मचारियों की मदद कैसे कर सकती है.

गंभीर मुद्दों पर हुई चर्चा : कार्यशाला के दौरान किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम-2015, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम-2012, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (लैंगिक संवेदीकरण, रोकथाम और यौन निषेध), महिला कर्मचारियों और छात्रों के उत्पीड़न और तकनीकी संस्थानों में शिकायतों का निवारण विनियमन-2016 सहित अन्य कानूनों की विशेषताओं पर चर्चा की गयी. कार्यशाला में आइसीसी की डॉ पूजा, डॉ अमित कुमार गिरी, हर्षवर्द्धन और कोयल मुखर्जी उपस्थित थीं.

लैंगिक संवेदनशीलता पर एक्सआइएसएस में कार्यशाला

रांची (आजाद सिपाही)। लैंगिक संवेदनशीलता, महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न पर रोकथाम और निषेध तथा तकनीकी संस्थानों में शिकायतों के निवारण पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन एक्सआइएसएस में किया गया। कार्यशाला के समापन सत्र में एक्सआइएसएस के डायरेक्टर डॉ. जोसफ मरियानुस कुजूर ने संस्थान में एक आंतरिक शिकायत समिति (आइसीसी) की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में फा. रवि सागर एसजे, एचओडी, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड लॉ, आइएसआइ, नयी दिल्ली और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील ने मानव अधिकारों की उत्पत्ति और देश में सक्रिय कानूनों पर चर्चा करने के बीच शैक्षणिक संस्थानों में आइसीसी की आवश्यकता पर व्यापक रूप से जानकारी साझा की। वहीं, एडवोकेट बोकाली काशो ने किसी भी शैक्षणिक संस्थान में एक आंतरिक शिकायत समिति की आवश्यकता और एक शैक्षणिक संस्थान में एक आइसीसी बनाने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की। एक्सआइएसएस में आइसीसी की पीठासीन अधिकारी और संस्थान की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मधुमिता ने साझा किया कि संस्था में समिति क्यों आवश्यक है और यह कार्यस्थल पर सभी महिला कर्मचारियों की मदद कैसे कर सकती है। कार्यशाला सह प्रशिक्षण में आइसीसी की ओर से डॉ पूजा, डॉ अमित कुमार गिरी, हर्षवर्धन और कोयल मुखर्जी की भागीदारी देखी गयी।

PRESS: AZAD SIPAHI